बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–16 दिसम्बर, 2014

बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014

सं०सं०–3/स्था०–05–(सं० नि०)–131/2013 का 2045/भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियामावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।**– (1) यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएँ ।**– इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :–

   (i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग परिक्षेत्र में लिपिकीय संवर्ग,

   (ii) "आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

   (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग;

   (iv) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;

   (v)"सदस्य" से अभिप्रेत है संवर्गो में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से संवर्गों में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है, तथा

   (vi)"अनुकम्पा" के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना ।**– लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगी :–

क्र०	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

टिप्पणी :– निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक तथा सहायक, प्रभारी पदाधिकारी का वर्तमान पदसोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा।

4. **संवर्ग बल ।**– संवर्ग बल ऐसा होगा जो जल संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय ।

5. **भर्ती।**— (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 % पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15 % पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के 85 % पदों के 10 % तक पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे।

(2) सभी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रील के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक् छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. **अर्हता।**— (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडियट(10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।"

(2) भर्ती के लिए विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाय।

7. **आरक्षण।**— भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्ती।**— (1) नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा।**— प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा।**— (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उर्तीण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र – 1

सेवा नियमावली – बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि टिप्पणी एवं प्रारूपण।

<u>पत्र – 2</u>

<u>वित्तीय नियमावली</u> – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. **सम्पुष्टि।**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता एवं कम्प्युटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. **वरीयता।**– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेंगी :

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं,

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति।**–(I) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायगा।

14. **संवर्ग का स्तर।**– यह संवर्ग मुख्य अभियंता (जल संसाधन विभाग) स्तरीय होगा।

15. **अवशिष्ट मामले।**– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नही हो, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **कठिनाई का निराकरण।**– सरकार (जल संसाधन विभाग) समय–समय पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वियन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो तथा इस नियमावली के प्रावधानो से असंगत न हो।

17. **निर्वचन।**– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला जल संसाधन विभाग द्वारा विधि विभाग के परमर्श के पश्चात विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

18. **निरसन एवं व्यावृति।**– (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– सं०सं०–3/स्था०–05–(सं० नि०)–131/2013 का 2045 /पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– सं०सं०–3/स्था०–05–(सं० नि०)–131/2013 का 2045 /पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/ विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– सं०सं०–3/स्था०–05–(सं० नि०)–131/2013 का 2045 /पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/निदेशक, भू–अर्जन एवं पूनर्वास/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– सं०सं०–3/स्था०–05–(सं० नि०)–131/2013 का 2045 /पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि – आई०टी०मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

16-12-14

(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

16 दिसम्बर–2014

संoसंo–3/स्थाo–05–(संo निo)–131/2013 /2046 / बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली 2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16.12.14

(आशीष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग।

The 16th..December, 2014

Bihar Water Resources Department Field Clerical Cadre (recruitment and condition of service) Rules-2014

N0.-3/Astha-05-(S. Ni.)-131/2013- 2045-In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution on India, Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and condition of service of the Field Clerical Cadre of the Water Resources Department :-

1. **Short title, extent and commencement -**(1)These Rules may be called as the Bihar Water Resources Department Field Clerical Cadre (recruitment and condition of service) Rules-2014
   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar,
   (3) It shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions. -** In these Rules, unless the context otherwise requires -
   (i) "Cadre" mean the clerical cadres of the Cheif Engineer Zone of Water Resources Department.
   (ii) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission,
   (iii) "Appointing Authority" means the Chief Engineer Water Resources Department.
   (iv) "Appointed Day" means the date of commencement of these Rules,
   (v) "Member" means a person appointed in the cadres and includes all the persons appointed in the cadres before commencement of these Rules.
   (vi) "Appointment on compassionate ground" means appointment of any one of the dependents of the government servant dying in harness, as per relevant circulars/instructions.

3. **Cadre Structure.-** The cadre structure of the clerical cadre shall be as follows :-

Sl.	Name of Category	Level
(a)	Lower Division Clerk	Basic Category
(b)	Upper Division Clerk	First Promotion Level
(c)	Head Clerk	Second Promotion Level
(d)	Assistant Administrative Officer	Third Promotion Level

Note - The existing hierarchical structure of L.D.C and U.D.C, Head Clerk and Assistant Administration Officer shall continue till further order.

4. **Cadre Strength.-** The cadre strength shall be such as determined by the Water Resources Department from time to time.

5. **Recruitment.-** (1) 85% Post of LDC shall be filled up by direct recruitment and 15% post shall be filled up without any examination by Group "D" employee in order of seniority who have the qualifications for the appointment in clerical post. Up to 10% posts of the 85% posts of direct recruitment shall be reserved for the appointment on compassionate ground.

(2) All recruitments shall be made to the grade of Lower Division Clerk on the recommendation of the Commission.

(3) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the Commission by the 30th April.

(4) The Commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates in order of merit to the appointing authorities concerned. The validity of the merit list shall be one year w.e.f the date of receipt of recommendation.

(5) The appointing authority after due scrutiny shall appoint the candidate on probation for two years.

6. **Qualification -**

(1) The minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent from the Board recognised by the Central Government or the State Government with knowledge of computer operation and computer typing.

(2) Minimum age for recruitment shall be eighteen years on the date of the advirtisement for recruitment and maximum age shall be the same as may determined by the State Government (General Administration Department), from time to time.

7. **Reservation. -** Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be applicable.

8. **Recruitment through promotion** -(1) The appointing authority shall prepare the seniority list of matriculate Group "D" staff.

(2) The promotion shall be made according to seniority on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

9. **Probation. -** Each recruitment shall be on probation for two years and it can be extended for one year in special circumstances by the appointing authority. If the probation period is not satisfactory, such extension shall be done, only if, the appointing authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory in the extended period also, the person concerned shall be dismissed from the service.

10. **Departmental Examination** -(1) Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

(2) There shall be two papers in the Departmental Examination and it shall be necessary to obtain 40 % marks for passing the examination in each paper.

Paper - 1 :

Service Rules :- Bihar Service Code, Pension Rules, Laws of Seniority and Promotion, Noting and Drafting.

Paper - 2 :

Financial Rules :- Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, GPF Rules, TA Rules, Insurance Rules.

11. **Confirmation** - A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period passing of the departmental examination and computer competency test.

12. **Seniority** - Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se seniority determined before coming into force of these Rules shall remain unchangeable :

Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of competitive examination of concerned recruitment year :

Provided further that the person appointed through promotion in a recruitment year shall be senior to the person appointed through competitive examination in the concerned recruitment year.

13. **Promotion** - (1) Promotion from basic category to higher categories may be given on completion of KALAWADHI as determined by The General Administration Department, from time to time and on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

(2) Department shall constitute The Promotion Committee.

14. **Level of cadre** - Chief Engineer zonal level (Water Resources Department).

15. **Residuary matters** - With regard to matters not particularly covered by these Rules, the members of the cadres shall be governed by the rules, regulations or orders applicable to the officers/employees of the State Government at appropriate level.

16. **Removal of difficulties** - The Government (Water Resources Department) may from time to time, issue such general or special instruction after consultation with the Law Department as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these rules.

17 **Interpretation** - Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules the matter shall be decided by the Water Resources Department after consultation with the Law Department whose decision shall be final.

18. **Repeal & Saving** -(1) All resolutions and instructions issued with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such resolutions, instructions shall be deemed to have been done under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By the order of Governor,
Sd./-
Dipak Kumar Singh.
Secretary to Govt.,
Water Recourses Department.

Memo NO.- 3/Astha-05-(S. Ni.)-131/2013 ka 2045 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014

Copy Forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna with request to publish this notification in extraordinary issue of the Bihar Gazette and to send its five hundred copies to this department.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo N0.- 3/Astha-05-(S. Ni.)-131/2013 ka 2045 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/Finance Department, Bihar, Patna/ All Departments/All Divisional Commissioner/Concerned Treasury/ Registrar General High Court/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat/C.M. Secretariat/Secretary, BSSC, Patna.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo N0.- 3/Astha-05-(S. Ni.)-131/2013 ka 2045 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014

Copy forwarded to P.S. to Minister WRD/P.S. to Secretary/All Engineer in chief/Joint Secretary (Management)/ Director, Land Acquisition and Re-habilitation/All Deputy Secretary (Management)/All Under Secretaries/All Chief Engineer, WRD, Bihar.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo N0.- 3/Astha-05-(S. Ni.)-131/2013 ka 2045 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014

Copy forwarded to I.T. Manager to upload it on The Departmental Website.

16.12.14
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.